राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

क्रमांक :– 699 दिनांक :– 2-11-2017

## कार्यवाही विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की क्रियान्विति में हुई प्रगति एवं मण्डल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु दिनांक 23/10/2017 को मण्डल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित थे :–

1. आवासन आयुक्त.
2. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/(मु0).
3. वित्तीय सलाहकार.
4. निदेशक विधि.
5. उप सचिव.
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/(एवीएस.एलसी.).
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक.
7. सहायक निदेशक–जन सम्पर्क.
8. उप आवासन आयुक्त, वृत प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर, अलवर एवं उदयपुर.
9. आवासीय अभियन्ता (विद्युत)/(पीएचई0–प्रथम/द्वितीय), जयपुर.
10. आवासीय अभियन्ता (ई–प्रोक.)/(पीएण्डएम.), जयपुर.

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की क्रियान्विति में हुई प्रगति एवं मण्डल की विभिन्न गतिविधियों के बारे में आवासन आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विचार बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधोवर्णित निर्देश दिये गये :–

1. **पीपीपी0 मॉडल परियोजनाओं की क्रियान्विति :–** राज्य सरकार के निर्देशानुसार, पीपीपी0 मॉडल पर परियोजनाओं के द्रुत क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर प्रक्रियाधीन बिड प्रपत्रों को अविलम्ब अन्तिम रूप दिया जाकर, जयपुर, जोधपुर एवं भिवाड़ी में EWS/LIG के बहुमंजिले फ्लेट्स के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में बहुमंजिले फ्लेट्स तथा छोटे शहरों/कस्बों में इस योजना के तहत EWS/LIG (जी+3) फ्लेटस व स्वतन्त्र आवासों के निर्माण की सम्भावनाएं भी तलाशी जावें। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई नवीन हाऊसिंग पॉलिसी के प्रावधानों को भी यथासम्भव इन परियोजनओं में समाहित किया जावे, ताकि अधिकाधिक आवेदकों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना सम्भव हो सके।

   पीपीपी0 परियोजनाओं का क्रियान्वयन विस्तारित करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, वरिष्ठ नगर नियोजक एवं तहसीलदार, रा0आ0मं0 की पांच सदस्यीय समिति द्वारा प्रदेशभर में इन परियोजनाओं हेतु भूमि चिन्हित कर, सम्पूर्ण भूमि की विस्तृत सूचना बुकलेट के रूप में माह नवम्बर' 2017 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जावे।

लगातार...2

लगातार...2

2. **भूमि अवाप्ति प्रकरण :–** आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित मण्डल अधिकारियों की समिति द्वारा पूर्व में जिन प्रकरणों में भूमि अवाप्त किये जाने सम्बन्धी अनुशंषा की गई है, उनमें भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को निवेदन करने सम्बन्धी निर्देश प्रदत्त किये गये। उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा पूर्व में (1) ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर (2) ग्राम महला चाणचुक्या (जयपुर) (3) ग्राम बहरोड़ उर्फ बलराम तहसील बहरोड़ (4) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (5) ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर (6) ग्राम डूंगरपुर, गोकुलपुरा व भाटपुरा जिला डूंगरपुर (7) ग्राम खो–नागौरियान/भावगढ़ बन्धा, तहसील सांगानेर (8) पाली एवं (9) ग्राम छत्रपुरा जिला बून्दी में भूमि अवाप्ति की प्रक्रियाधीन कार्यवाही को गति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।

3. **जगतपुरा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण :–** रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई जाने वाली भूमि में से वाद संख्या 7(39)10/5 में निहित भूमि के आधे हिस्से के खातेदार द्वारा अपनी भूमि का मुआवजा लेकर भूमि का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में आवासन आयुक्त महोदय को निर्देश दिये गये कि आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण से इस प्रकरण में चर्चा कर यथाशीघ्र उचित निर्णय करावें।

4. **मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत किये जाने बाबत :–** आवासन आयुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मण्डल द्वारा यद्यपि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत करने हेतु आवश्यक तैयारी कर ली गई है, लेकिन कतिपय प्रशासनिक कारणों से बैठक आयोजन विलम्बित होने के परिणामस्वरूप पदोन्नति हेतु पात्र कुछ अधिकारी पदोन्नति लाभ के बिना ही इसी माह सेवानिवृत हो रहे हैं, जिनकी तदर्थ पदोन्नतियां (Adhoc promotions) करने पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। आयुक्त महोदय के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माह नवम्बर' 2017 तक सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

5. **पूर्व पंजीकृत 4090 आवेदकों को आवण्टन :–** प्रदेश के विभिन्न शहरों/कस्बों में पृथक पृथक आयवर्गों के अन्तर्गत लम्बित 4090 आवेदकों को प्रथमतः मण्डल के पास उपलब्ध अधिशेष आवास/फ्लेट्स ऑफर किये जावें एवं तदन्तर एक विशेष कार्ययोजना के तहत यथाशीघ्र आवास/फ्लेट्स आवण्टित कर, माह दिसम्बर' 2017 के अन्त तक इस आंकड़े को शून्य किया जावे।

6. **अधिशेष आवास/फ्लेट्स की संख्या को न्यूनतम करना :–** प्रदेश के विभिन्न शहरों में पृथक पृथक श्रेणी के कुल 8660 अधिशेष आवास/फ्लेट्स उपलब्ध हैं, जिनके निस्तारण में मुख्य बाधा उनकी कीमत का अधिक होना है। रीयल एस्टेट क्षेत्र में व्याप्त मन्दी के मध्येनजर, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सम्पदाओं के निस्तारण हेतु उनकी आरक्षित दर को कम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मण्डल द्वारा भी अधिशेष आवास/फ्लेट्स की आरक्षित दर/न्यूनतम बिड मूल्य को कम करते हुए, नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जावे।

झूलेलाल मार्केट में निर्मित दुकानों की लागत में तर्कसंगत छूट प्रदान करते हुए, उनके निस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव संचालक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

लगातार...3

लगातार...3

7. लागत में छूट एवं डिस्काउण्ट :– रीयल एस्टेट क्षेत्र में व्याप्त मन्दी तथा मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लेट्स की लागत बाजार भाव की तुलना में अधिक होने के कारण मण्डल की सम्पदाओं का समुचित निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लेट्स की लागत को यथार्थवादी बनाये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित लागत सिद्धान्तों में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संचालक मण्डल की आगामी बैठक में रखा जावे।

8. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में लम्बित प्रकरण :– नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर, आवासन मण्डल एवं नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कर यथाशीघ्र लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

9. जन स्वा. अभि. विभाग एवं विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रकरण :– जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं आवासन मण्डल के मध्य लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 05/10/2017 को प्रस्तावित बैठक के स्थगित हो जाने के परिणामतः बैठक की नवीन तिथी नियत करवाने हेतु उनसे सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि पेयजल की हिस्सा राशि से सम्बन्धित प्रकरण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष विचाराधीन है, जिसके निर्णय उपरान्त ही इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वित्त विभाग एवं जन स्वा. अभि. विभाग से सम्पर्क कर, इस प्रकरण को यथाशीघ्र निर्णित करवाया जावे।

इसी प्रकार विद्युतीकरण सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु आगामी सप्ताह में विद्युत वितरण निगम लि0 के सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक प्रयास किये जावें तथा आवश्यक होने पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/मन्त्री स्तर पर बैठक प्रस्तावित की जावे।

10. अलवर एवं अजमेर से सम्बन्धित प्रकरण :– आवासन मण्डल की अहस्तान्तरित कॉलोनियों में 'Road repair/renewal of roads/new construction of roads आदि कार्य मण्डल द्वारा समय पर नहीं करवाये जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता जाहिर की गई तथा निर्देशे दिये गये कि प्रदेशभर में मण्डल की अहस्तान्तरित कॉलोनियों का सर्वे करवाया जावे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, सभी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा सड़क निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण के आवश्यक कार्यो की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर, यथाशीघ्र कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जावे।

11. अग्रवाल समाज, मानसरोवर :– मानसरोवर योजना में अग्रवाल समाज को लगभग 1600 व0मी0 भूमि के आवण्टन हेतु प्रकरण "सम्पत्ति आवण्टन समिति" की आगामी बैठक में रखा जावे एवं निर्णयानुसार आवण्टन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जावे।

लगातार...4

लगातार...4

12. **वीरांगनाओं को आवास आवण्टन :–** प्रदेशभर में वीरांगनाओं को आवास आवण्टन से सम्बन्धित नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के समक्ष विचाराधीन 28 प्रकरणों को मण्डल स्तर से उचित कार्यवाही कर, यथाशीघ्र निर्णित करवाया जावे।

13. **स्थानीय निकायों को कॉलोनी हस्तान्तरण की प्रगति :–** आवासन मण्डल द्वारा विकसित एवं स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण से शेष रही 51 कॉलोनियों के शीघ्र हस्तान्तरण हेतु निर्देश दिये गये कि प्रथमतः सम्बन्धित निकाय के सभापति/अधिशाषी अधिकारी से सम्पर्क कर, इन कॉलोनियों को एमओयू0 के आधार पर हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जावे। जो कॉलोनियां नगरीय सीमा से बाहर अवस्थित हैं, उनमें साफ–सफाई, सड़कों एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के रखरखाव आदि कार्य मण्डल की लागत पर सम्बन्धित निकाय से सम्पादित करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जावें।

14. **मानसरोवर योजना में 68 आवासों की लॉटरी :–** मानसरोवर योजना में उपलब्ध 68 आवास/फ्लेट्स पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी वरीयतानुसार एवं मण्डल नियमानुसार पृथक पृथक लॉटरी के माध्यम से आवण्टित करने के प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जावें। मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावान्तर्गत आवास/फ्लेट्स को आवण्टन की बजाय मण्डल नियमों के अन्तर्गत नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने की सम्भावनाओं के गहन आकलन उपरान्त ही आवण्टन प्रस्तावों की सक्षम स्वीकृति प्रदान की जावे।

15. **95 कॉलोनियों के नियमन हेतु जविप्रा0 को अनापत्ति जारी करने बाबत :–** मण्डल की प्रताप नगर एवं मालवीय नगर योजनाओं के आंशिक भू–भाग पर अनाधिकृत रूप से बसी 95 कॉलोनियों के नियमन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित एनओसी0 दिनांक 30/10/2017 तक आवश्यक रूप से जारी की जावे।

16. **मुख्यमन्त्री जन कल्याण शिविर की प्रगति :–** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रदेशभर में आयोजित मुख्यमन्त्री जन कल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के तात्कालिक निस्तारण उपरान्त शेष रहे नियमितिकरण के 3136 प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 30/11/2017 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे तथा जिन अधिकारियों ने राज्य सरकार के निर्देश होने के बावजूद भी नगद भुगतान पद्धति/नीलामी/स्ववित्त पोषित योजना में नियमितिकरण के आवेदन स्वीकार नहीं किये हैं, उनको 'कारण बताओ नोटिस' जारी किये जावें तथा ऐसे आवेदन स्वीकार करने हेतु पुनः निर्देशित किया जावे।

17. **संचालक मण्डल/विभिन्न समितियों की बैठक आयोजित करने बाबत :–** संचालक मण्डल एवं अन्य समितियों यथा परियोजना समिति, सम्पत्ति आवण्टन समिति, भूमि समझौता समिति, कार्यसमिति आदि की बैठक दिनांक 10 से 15 नवम्बर' 2017 के बीच आयोजित की जा सकती हैं।

लगातार...5

लगातार...5

अतः इनमें प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विचार बिन्दुओं को प्रचलित प्रक्रियानुसार यथासमय अनुमोदित करवा लिया जावे एवं अनुमोदित विचार बिन्दुओं का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए, बैठक की तिथी निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

18. **देय राशि की वसूली एवं आवासों का निरस्तीकरण :–** मासिक किश्तों एवं अन्य देय राशियां जमा नहीं करवाने वाले दोषी आवण्टियों को नोटिस जारी किये जावें तत्पश्चात शेष रहे दोषी आवण्टियों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जावे। इसके बाद भी देय राशि जमा नहीं करवाने वाले आवण्टियों को सतत दोषी मानते हुए, उनके आवण्टन को निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

19. **माननीय सांसद श्री निहालचन्द का प्रकरण :–** आवासन आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि पट्टा जारी करने से सम्बन्धित इस प्रकरण का निस्तारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, क्योंकि मण्डल द्वारा मालवीय नगर योजना हेतु भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण से खरीदी गई थी तथा अवार्ड के अनुसार जविप्रा0 द्वारा इस भूमि के खातेदारों को 250 वर्गगज का एक एक रहवासीय भूखण्ड रू. 12,500/– की कीमत पर आवण्टन पट्टा जारी किया जाना था। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के स्तर पर, जविप्रा0 एवं मण्डल अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित कर, प्रकरण को यथाशीघ्र निर्णित किया जावे।

20. **इन्दिरा गान्धी नगर में 'Demonstration Housing Project' हेतु एक एकड़ भूमि का आवण्टन :–** नवीनतम तकनीक के माध्यम से 'Demonstration Housing Project' के अन्तर्गत बीएमटीपीसी0 द्वारा जयपुर में आवास/फ्लेट्स निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने सम्बन्धी नगरीय विकास विभाग द्वारा अग्रेषित प्रस्तावानुसार, मण्डल की इन्दिरा गान्धी नगर योजना में वांछित भूमि उपलब्ध करवाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदत्त करते हुए, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

21. **कम्प्यूटराईजेशन कार्यों की प्रगति :–** मण्डल की विभिन्न गतिविधियों के सम्पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जावे तथा मण्डल के आवेदकों/आवण्टियों को अपनी राशि जमा करवाने हेतु ऑनलाईन सुविधा 15 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे।

22. **मुख्यमन्त्री हैल्पलाईन :–** मुख्यमन्त्री हैल्पलाईन पर मण्डल की शिकायतों को न्यूनतम किये जाने की दृष्टि से आवासन मण्डल की सामान्य कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार किया जावे। इसके बावजूद मुख्यमन्त्री हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायतों को गम्भीरता से लिया जावे तथा ऐसी सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

23. **पेट्रोलियम कम्पनियों को भूमि आवण्टन :–** राज्य सरकार के निर्देशानुसार, मण्डल की जिन योजनाओं में पेट्रोल पम्प के लिए भूमि आरक्षित है, उन्हे सरकारी पेट्रोलियम कम्पनियों को आवण्टित करने हेतु प्रकरण संचालक मण्डल की आगामी बैठक में रखे जावें। ऐसे प्रक्रियाधीन सभी प्रकरणों की सूची माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदत्त किये गये।

लगातार...6

लगातार...6

24. **दीपावली के अवसर पर 2016 आवास/फ्लेट्स के कब्जे सुपुर्द करने बाबत :–** माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि जिन आवण्टियों ने मांग–पत्र की राशि जमा करवा दी है उन सभी को 'Special drive' के रूप में दिनांक 15/11/2017 तक आवश्यक रूप से आवास/फ्लेट्स के भौतिक कब्जे सुपुर्द कर दिये जावें। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन जिन स्थानों पर स्टाफ की कमी है, वहां पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर संविदाकर्मियों की सेवायें ली जावें। लेखा कार्मिकों की कमी की पूर्ति हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर को आवश्यकतानुरूप कनिष्ठ लेखाकार प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जावे।

25. **प्री–कमेटियों के विलोपन बाबत :–** आवासन आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि मण्डल की विभिन्न समितियों के समक्ष रखे जाने वाले प्रकरणों के पूर्व परीक्षण हेतु कई समितियों की प्री–कमेटियां गठित की हुई हैं, जिनमें कुछ अन्य विभागों के अधिकारी भी नामित हैं। प्रथमतः प्री–कमेटियों में परीक्षण एवं तदन्तर मुख्य समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण में काफी समय लगता है, साथ ही अन्य विभाग से नामित अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण कई बार प्री–कमेटी की बैठक भी सम्भव नहीं हो पाती है। वैसे भी विधिक रूप से ऐसी प्री–कमेटियों का कोई औचित्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसी प्री–कमेटियों के विलोपन हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए, एतदविषयक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

26. **आवासीय अभियन्ता के रिक्त पदों पर वरिष्ठता के अनुसार कार्यव्यवस्था :–** इन्जिनियर्स एसोसियेशन की मांग पर आवासन आयुक्त द्वारा अध्यक्ष महोदय की जानकारी में लाया गया कि कुछ स्थानों पर आवासीय अभियन्ता के रिक्त पद पर उसी खण्ड में कार्यरत वरिष्ठतर परियोजना अभियन्ता–वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी को पदस्थ किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जब तक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित पदोन्नतियां नहीं होती हैं, तब तक कार्यव्यवस्था के अन्तर्गत मण्डल द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठतम परियोजना अभियन्ता–वरिष्ठ को ही आवासीय अभियन्ता के रिक्त पद पर पदस्थ करने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जावें।

## सामान्य निर्देश :–

1. भूमि अवाप्ति के जिन प्रकरणों में खातेदारों को 15 – 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने हैं, ऐसे सभी प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 31/12/2017 तक आवश्यक रूप से निस्तारित किया जावे तथा 15 दिवस के अन्तराल से प्रगति रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदत्त किये गये।

2. समाज के गरीब तबके को आवासीय सुविधा मुहैया करवाने की दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख शहरों/जिला मुख्यालयों/कस्बों में आगामी दो माह की अवधि में 10 – 15 नवीन योजनाएं प्रारम्भ की जावें, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त छूट को समाहित करते हुए अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जावे।

3. आवासन मण्डल की सामान्य कार्यप्रणाली में समुचित पारदर्शिता लाई जावे।

लगातार...7

लगातार...7

4. मण्डल के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के प्रति विशेष सतर्कता बरती जावे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

मुख्य अभियन्ता (मु0),
रा0आ0मं0, जयपुर।

प्रतिलिपी सूचनार्थ / पालनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव–अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
4. सचिव / वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक / उप सचिव / निदेशक विधि / अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पीएण्डएम, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी(भूमि) / तहसीलदार, रा0आ0मं0, जयपुर।
8. सहायक निदेशक–जन सम्पर्क, रा0आ0मं0, जयपुर।
9. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत----------
10. समस्त आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड----------
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मु0),